देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/MMP/04 E-Newsletter, Issued in Public Interest गुरुवार, 16 जनवरी 2020

राजस्थान पत्रिका

घुटती सांसों, मरते शहरों को संजीवनी

मास्टर प्लान ही मास्टर गाइडलाइन : हाईकोर्ट

जयपुर और जोधपुर समेत राजस्थान के 6 प्रमुख शहरों के मास्टर प्लान में बदलाव नहीं | कोर्ट का यह फैसला देश-प्रदेश के सुनियोजित विकास की दिशा करेगा तय

बढ़ रही परेशानियां...

कॉलोनियों में भूखंडों को जोड़ नहीं बन सकेंगी इमारतें

मास्टर प्लान में दर्शाना होगा, कहां बनेंगी बहुमंजिला इमारतें

यूं हो रहा नुकसान

जे.डी.ए. के महत्वपूर्णज़ोन में से एक ज़ोन-5

जे.डी.ए. का ज़ोन 5,जे.डी.ए. के सबसे महत्वपूर्ण जोन में से एक है,इसके अधिकार क्षेत्र में अजमेर रोड,न्यू सांगानेर रोड ,गोपालपुरा बायींपास रोड,गुर्जर की थडी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आते है,यही वजह है कि इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अवैध निर्माणों,अतिक्रमणों और बिना अनुमति आवासीय भूखंडों में व्यवसायिक गतिविधियों की भरमार है,जे.डी.ए. में सबसे अधिक शिकायते इसी ज़ोन की प्राप्त होती है|यही कारण है कि यहाँ पर प्रवर्तन का चार्ज लेने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर लालियत रहते है|

जे.डी.ए. का ज़ोन 5

जहाँ पर अवैध कोचिंग,होस्टल,होटल,शराब की दूकान,शोरूम सहित अन्य कई अवैध निर्माणों की भरमार,लेकिन कार्यवाही नाममात्र

लेकिन इतनी शिकायतों का अम्बार होने के बावजूद प्रवर्तन शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाही नाममात्र ही है|वो भी कार्यवाही तब की जाती है जब उच्च स्तर,न्यायालय के आदेश,लोकायुक्त कार्यालय का दबाव आता है|आम आदमी की शिकायत पर तो शायद ही कभी कोई कार्यवाही होती है|

वर्ष 2018-19 की शिकायतों पर पूरे साल कोई कार्यवाही नहीं कई बड़े मामलों का किया था खुलासा

गत वर्ष हमारे द्वारा कई बड़े मामलों का खुलासा करते हुए प्रवर्तन अधिकारी से लेकर उच्च न्यायालय तक गुहार लगायी गयी परन्तु घूमफिर कर सारे मामले प्रवर्तन अधिकारी के पास ही आ जाते है जिस पर किसी बड़े अधिकारी का बस नहीं चलता|

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

मंगलवार, 1 अक्टूबर 2019

राज.उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का दोषी कौन??

Part-2

जे.डी.ए. के ज़ोन-5 में कृषि भूमि पर शराब की दुकान संचालित|

प्रवर्तन अधिकारी नोटिस देकर भूले या फिर???

गोपालपुरा बाईपास रोड पर गुर्जर की थडी,करतारपुरा नाले के पास कृषि भूमि पर चल रही अवैध शराब की दूकान

पता:-S1,झारखंड अपार्टमैंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151 पेज 1

प्रकरण:-1

कृषि भूमि पर चल रही व्यवसायिक गतिविधि(शराब की दूकान)

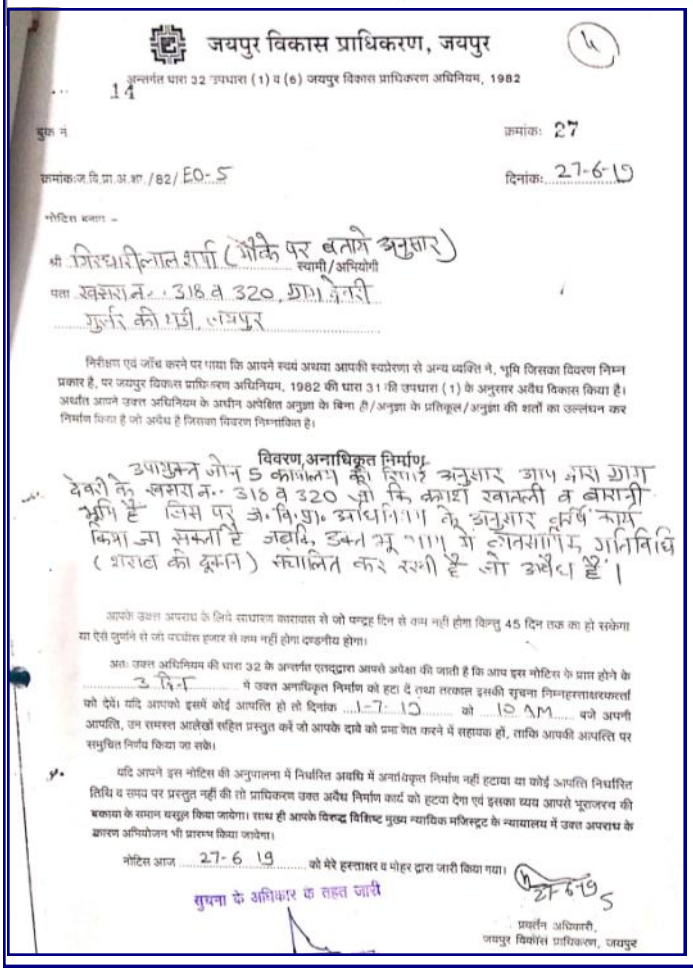

इस मामले की जानकारी होने पर हमारे द्वारा दिनांक 25/04/2019 को जे.डी.ए. के अधिकारियों को शिकायत की गयी थी|जिसमे खुलासा करते हुए बताया गया था कि गुर्जर की थडी पर ग्राम देवरी के खसरा संख्या 318 व 320 पर स्थित कृषि भूमि पर शर्मा बिल्डिंग मेटेरियल एंड वाटर सप्लायर्स की जगह शराब की दूकान खोली जा रही है| जिस पर कार्यवाही करते हुए प्रवर्तन अधिकारी ज़ोन-5 द्वारा 27/06/2019 को धारा 32 का नोटिस भी दिया गया परन्तु नोटिस देने के 7 माह बाद भी प्रवर्तन शाखा द्वारा इसे ध्वस्त नही किया गया है|जबकि इस मामले की शिकायत नगरीय विकास विभाग के मंत्री महोदय तक को की जा चुकी है|

तीन साल पहले भी जे.डी.ए. दे चूका है नोटिस,परन्तु जेब गरम करने से नहीं की कोई कार्यवाही|

जिस दूकान में वर्तमान में अंग्रेजी शराब का ठेका चल रहा है,अवैध निर्माणकर्ता द्वारा उस शेड का निर्माण तीन साल पहले करवाया गया था| और बिल्डिंग मेटेरियल की सप्लाई कर व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था|इसी निर्माण को अवैध मानते हुए प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तीन साल पहले धारा 32 के तहत नोटिस भी दिया गया था|परन्तु अवैध निर्माणकर्ता द्वारा उस समय वर्षों पुराना मंगलम मैरिज गार्डन चलाने का हवाला देकर,जे.डी..ए.प्रवर्तन अधिकारी की जेब गरम कर दी गयी,जिसके चलते इस नोटिस पर होने वाली कार्यवाही को ठन्डे बस्ते में डाल दिया गया|

व्यवसायिक गतिविधियाँ किसी भी हाल में कृषि भूमि पर अनुज्ञेय नहीं|माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना|

अपने जवाब में अवैध निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है उसके द्वारा इस कृषि भूमि पर कभी तो मैरिज गार्डन चलाया गया है तो कभी बिल्डिंग मेटेरियल की दूकान|वर्तमान में इस जगह पर शराब की दूकान का संचालन किया जा रहा है|जो कि किसी भी हाल में अनुज्ञेय नहीं की जा सकती|भूमि धारक को हर हाल में भूमि का उपयोग परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जे.डी.ए. को इसे ध्वस्त करनी ही पड़ेगी|

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

14 अन्तर्गत धारा 32 उपधारा (1) व (6) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

बुक नं क्रमांक: 27

क्रमांक:ज.वि.प्रा.अ.शा./82/ EO-5 दिनांक: 27-6-19

नोटिस बनाम -

श्री गिरधारीलाल शर्मा (मौके पर बताये अनुसार) स्वामी/अभियोगी

पता खसरा नं. 318 व 320, ग्राम देवरी गुर्जर की थडी, जयपुर

निरीक्षण एवं जाँच करने पर पाया कि आपने स्वयं अथवा आपकी स्वप्रेरणा से अन्य व्यक्ति ने, भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है, पर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 31 की उपधारा (1) के अनुसार अवैध विकास किया है। अर्थात आपने उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना ही/अनुज्ञा के प्रतिकूल/अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण किया है जो अवैध है जिसका विवरण निम्नांकित है।

विवरण,अनाधिकृत निर्माण

उपायुक्त जोन 5 कार्यालय की रिपोर्ट अनुसार आप द्वारा ग्राम देवरी के खसरा नं. 318 व 320 जो कि कृषि खातेदारी व बारानी भूमि है जिस पर ज.वि.प्रा. अधिनियम के अनुसार कृषि कार्य किया जा सकता है जबकि, उक्त भूमि में व्यवसायिक गतिविधि (शराब की दूकान) संचालित कर रखी है जो अवैध है।

आपके उक्त अपराध के लिये साधारण कारावास से जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु 45 दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा दण्डनीय होगा।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस नोटिस के प्राप्त होने के 3 दिन में उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटा दें तथा तत्काल इसकी सूचना निम्नहस्ताक्षरकर्ता को देवें। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 1-7-19 को 10 AM बजे अपनी आपत्ति, उन समस्त आलेखों सहित प्रस्तुत करें जो आपके दावे को प्रमाणित करने में सहायक हों, ताकि आपकी आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सके।

यदि आपने इस नोटिस की अनुपालना में निर्धारित अवधि में अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया या कोई आपत्ति निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत नहीं की तो प्राधिकरण उक्त अवैध निर्माण कार्य को हटवा देगा एवं इसका व्यय आपसे भूराजस्व की बकाया के समान वसूल किया जावेगा। साथ ही आपके विरुद्ध विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उक्त अपराध के कारण अभियोजन भी प्रारम्भ किया जावेगा।

नोटिस आज 27-6-19 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

सूचना के अधिकार के तहत जारी

प्रवर्तन अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रकरण:-2

99 अवैध कोचिंग संस्थानों और रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स को नोटिस दिए किसी को भी सील नहीं किया|

जेडीए द्वारा समस्त जोन क्षेत्रों में चल रहे अवैध कोचिंग संस्थानों और रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स का सर्वे करवाया गया था,जिसके तहत ज़ोन 5 में 99 अवैध कोचिंग संस्थान और रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स को धारा 32 के तहत नोटिस भी दिए गए थे,परन्तु नोटिस देने के 4 माह बाद भी आज दिनांक तक एक को भी सील नहीं किया गया है|

गौरतलब है कि सुरत में हुए अग्निकांड के बाद भी जिम्मेदार विभागों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर हमारे द्वारा एक जन हित याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी,जिस पर अंतरिम आदेश देते हुए अग्निशमन मानदंडों की कढाई से पालना करने के लिए दो हफ़्तों में शपथपत्र देने के आदेश दिए थे|इस मामले की अगली सुनवाई 17/01/2020 को है|

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!! सरकार www.jawabdosarkar.com देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

शुक्रवार, 23 अगस्त 2019

अंक -2019/JHY/03

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने " जवाब दो सरकार" की जन हित याचिका पर लिया संज्ञान

सरकारी जमीनों/आवासीय परिसरों में बिना नक़्शे अनुमोदित कराये,बिना फायर NOC के चल रहे कोचिंग संस्थानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार,जे.डी.ए.,नगर निगम ,राजस्थान कोचिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन सहित 13 विभागों को नोटिस जारी किये|

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जवाब दो सरकार की जन हित याचिका पर संज्ञान लेते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी जमीनों/आवासीय परिसरों में बिना नक़्शे अनुमोदित कराये,बिना फायर NOC के चल रहे कोचिंग संस्थानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार,जे.डी.ए.,नगर निगम ,राजस्थान कोचिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन सहित 13 विभागों को नोटिस जारी किये,जिसकी अगली सुनवाई 27 सितम्बर को रखी गयी है|मुख्य न्यायाधीश श्री रविन्द्र भट्ट और जस्टिस श्री इन्द्रजीत सिंह की डबल बेंच ने सूरत हादसे में मारे गए 23 छात्रों की अकाल मृत्यु के बावजूद स्थानीय प्रशासन के नाकाफी प्रयासों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किये|इस याचिका की पैरवी करते हुए अधिवक्ता आदित्य जैन और नेहा ज्ञामलानी ने पैरवी करते हुए बताया कि जे.डी.ए., नगर निगम सहित अन्य कई विभाग अपनी जिम्मेदारियों की पालना नहीं कर रहे है जिससे सैंकड़ों बच्चों की जान संकट में है|

यह समस्याएँ उठायी सम्बंधित जन हित याचिका में|

- आवासीय भूखंडों में कोचिंग के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियाँ,जो कि भवन विनियमों के विपरीत है|
- अधिकांश बिल्डिंगों के नक़्शे सक्षम स्तर पर अनुमोदित नहीं|
- अधिकांश बिल्डिंगों की लीज मनी और यू.डी. टेक्स जमा नहीं,सरकार को करोड़ों रुपयों के राजस्व की हानि|
- अधिकांश बिल्डिंगों/कोचिंग संस्थानों को नगर निगम द्वारा फायर NOC जारी नहीं|जिन बिल्डिंगों की जारी की गयी उसमे भी सांठ-गाँठ कर नियम विरुद्ध तरीके से फायर NOC प्राप्त की गयी|सांठ गाँठ से जारी की गयी फायर NOC को अवैध कोचिंग सेंटर चलाने का प्रमाण पत्र बना दिया|
- कोचिंग संस्थानों के निर्माण/नियमन के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के मानदंडों की पालना नहीं|

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह चौक,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा,302012 मोबाइल:-9828346151 पेज 2

हाईकोर्ट ने कहा लाखों बच्चों से जुड़ा मामला पूरे शहर में करें सर्वे

जेडीए ने माना 90 कोचिंग में नहीं हैं अ... ण

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. जेडीए के एक जोन में ही नब्बे से ज्यादा कोचिंग ऐसे हैं जिनके पास फायर एनओसी नही है और अग्निशमन के उपकरण उपलब्ध नही है। ऐसे में पूरे शहर के कोचिंग संस्थानों का अनुमान लगाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, जेडीए,जेएमसी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी से सभी जोन में सर्वे करने को कहा। जिसमें कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन उपकरण, अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जानकारी और कोर्ट में पेश रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्रवाई हुई यह भी पूछा है।

राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहान्ती और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की बेंच में जवाब दो सरकार एनजीओ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में जेडीए के जोन पांच में चलने वाले कोचिंग संस्थानों की एक सूची पेश की गई। जिसमें सरकार ने माना कि 90 से अधिक कोचिंग संस्थानों के पास सुरक्षा उपकरण नहीं हैं, इनके पास निर्माण की अनुमति भी नही है। अग्निशमन के पर्याप्त उपकरण तक उपलब्ध नहीं है। जिस पर कोर्ट ने पूछा कि अब तक ऐसे कोचिंग संस्थानों को सीज क्यों नहीं किया गया है। ये मामला हजारों बच्चों से सीधा जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से एडवोकेट आदित्य जैन ने कहा यह रिपोर्ट केवल एक जोन की है पूरे कोचिंग संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नही है और अब तक सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं हुई है।

दोषी के खिल...

कितनी ...

जयपुर@पत्रिका. हाईकोर्ट ने सांगानेर ... डाई फैक्ट्रियों से नि... अनट्रीटेड पानी के स... से ट्रीट होकर छोड़े जा... में मिलने पर नाराजगी ... कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्र... सांगानेर में दूषित पानी छ... फैक्ट्रियों का पता लगा... खिलाफ की गई कार... जानकारी मांगी है।

रामगढ़ बांध मामले ... जनहित याचिका पर सुन... दौरान कोर्ट में बताया कि ... में कई प्रिंटिंग और डायिंग फै... नेवटा और गूलर बांध को ... वाले चैनल में प्रदूषित पानी ...

... म करने या ... रवाने और ... कोर्ट ने ... ित पानी ... का पता ... ताने को ... बोर्ड ने ... यों को ... साथ ... क्शन ... ए ने ... के ... पोर्ट ... की ... दूब

Thu, 14 November 2019
epaper.patrika.com/c/45723049

कोचिंग में फायर सेफ्टी पर जेडीए और निगम जवाब दें

जयपुर। हाईकोर्ट ने जयपुर की सभी जोन में फायर सुरक्षा संसाधनों के बिना और बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन कर चल रहे कोचिंग संस्थानों के मामले में जेडीए, नगर निगम व चीफ फायर ऑफिसर को कहा है कि वे शपथ पत्र सहित बताएं कि इनमें फायर सेफ्टी नियमों की पालना हो रही है। सीजे इन्द्रजीत महान्ति व जस्टिस महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश बुधवार को जवाब दो सरकार संस्थान की पीआईएल पर दिया। पीआईएल में कहा था कि जयपुर के अधिकतर कोचिंग संस्थान बिल्डिंग बॉयलॉज के विपरीत चल रहे हैं। इनमें फायर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं। नियमानुसार 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग में फायर सेफ्टी एनओसी लेना जरूरी है। ऐसे में कोचिंग में फायर सुरक्षा उपकरण नहीं होने के कारण इनमें पढ़ने वाले लाखों स्टूडेंट की जान को भी खतरा है। इनमें आपातकालीन निकास की व्यवस्था नहीं हैं।

प्रकरण:-3

आवासीय भूखंड संख्या बी-13बी,योजना 10बी गोपालपुरा बाईपास,जयपुर में चल रहे अवैध होटल पार्क क्लासिक पर कोई कार्यवाही नहीं की

जे.डी.ए. द्वारा भूखंड संख्या बी-13बी,योजना 10बी गोपालपुरा बाईपास,जयपुर का आवासीय पट्टा दिनांक 11/07/2001 को मुन्ना लाल गोयल के पक्ष में जारी किया गया था.जिसका कुल क्षेत्रफल 1118.05 वर्ग गज था,इस बिल्डिंग पर स्टूडियो अपार्टमेंट(एक कमरा,पेंट्री,लेट-बाथ) का 9 मंजिला आवासीय कोम्प्लेक्स बनाने हेतु जे.डी.ए. को दिनांक 21/01/2008 को आवेदन किया गया|

दिनांक 11/02/2008 को बी.पी.सी. की 65वीं बैठक में इस बिल्डिंग के मानचित्र सशर्त अनुमोदित कर दिए|जिसके क्रम में 24/03/2009 को जे.डी.ए. द्वारा इस आवासीय भवन का आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन जारी कर दिया गया|परन्तु बिल्डर द्वारा इस अनुज्ञा को ठेंगा बताते हुए,स्टूडियों अपार्टमेन्ट के नाम पर होटल का निर्माण कर लिया,यदि बिल्डर द्वारा इस भूखंड का नियमानुसार व्यवसायिक भू-उपयोग करवा कर होटल निर्माण हेतु जे.डी.ए. से स्वीकृति प्राप्त की जाती तो निश्चित रूप से राजस्व के रूप में जे.डी.ए. को लाखों रुपयों के राजस्व की प्राप्ति होती|

इस मामले की शिकायत करने पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा गैरजिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा गया कि मामला नीतिगत निर्णय का है,अतः फाईल मंत्री महोदय को भेजी गयी है|जबकि ज़ोन की रिपोर्ट के अनुसार यह आवासीय पर व्यवसायिक गतिविधियों का मामला है जिसको सील करना प्रवर्तन विभाग की जिम्मेदारी है|

प्रकरण:-4

चंदा लाल कल्याण मल के अवैध गोदाम की जगह बनने वाले एलन करियर इंस्टीट्यूट के अवैध कोचिंग को भी बख्शा

गोपालपुरा बाईपास रोड पर जे.डी.ए. विनियमों को ताक पर रख कर, प्लाट संख्या 65 और उसके आस पास के आवासीय भूखंडों को मिलाकर अवैध लकड़ी के गौदाम और फर्नीचर के शोरूम का संचालन किया जा रहा है,जिसका विरोध होने पर आगे के कुछ भूखंडों का भू-उपयोग परिवर्तन करवा कर व्यवसायिक भी करवा लिया गया परन्तु इन भूखंडों का ना तो पुनर्गठन किया गया और ना ही विधिक रूप से जे.डी.ए. से व्यवसायिक निर्माण हेतु नक़्शे पास करवाये गए|सबसे बड़ी बात यह है कि इसका गोदाम का निर्माण बिना एक इंच का सेटबैक छोड़े किया गया है|जिससे इस गोदाम का पूरा प्रोजेक्शन सडक पर है|

चंदालाल कल्याणमल का मेन रोड पर ही नहीं इसी गोदाम के पीछे की तरफ भूखंड संख्या 145,146 और अन्य आवासीय भूखंडों पर भी बिना अनुमति गैरकानूनी रूप से लकड़ी के गोदाम संचालित किये जा रहे है|जिनके अवैध संचालन से भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता|बड़ी डील करते हुए,इस शोरूम के मालिक द्वारा अपनी इस गोदाम की जमीन को ऐलन कोचिंग इंस्टिट्यूट को किराए पर देने का करार किया है और इसके लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 27 लाख रूपये मासिक में डील की गयी है|जिस पर एलन इंस्टीट्यूट द्वारा निर्माण कार्य भी चालू करवा दिया गया है परन्तु अभी तक प्रवर्तन शाखा गहरी नींद में है और इंस्टीट्यूट के चालू होने का इन्तजार कर रही है|

धर्म कांटे पर चल रहा अवैध के.महावीर होटल पर भी कोई कार्यवाही नहीं

इस ग्रुप का एक होटल**(के. महावीर होटल)** आवासीय भूखंड संख्या 282-283,डा.राजेन्द्र प्रसाद नगर किसान धर्म कांटे पर संचालित है,वह भी जे.डी.ए. से अप्रूव नहीं है और ना ही उसके नक़्शे पास है|जे.डी.ए. द्वारा करवाये गए सर्वे के अनुसार यह गैर-अनुमोदित योजना में स्थित है और बिना जे.डी.ए. की अनुमति के अवैध बना हुआ है|जिसके चलते इसे जे.डी.ए. एक्ट की धारा 32 के तहत नोटिस भी जारी किया जा चूका है|परन्तु जे.डी.ए. अधिकारियों से सांठ-गाँठ के चलते इसे आज दिन तक सील नही किया गया है|

प्रकरण:-5

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

गुरुवार, 21 नवम्बर 2019

अंक –2019/ACI/04

मी लार्ड!

आपने जिन अवैध कोचिंग संस्थानों को सील करने के आदेश दिए है,जे.डी.ए. अधिकारी उन्हें ही जे.डी.ए. पट्टे देने की तैयारी कर रहे है|

पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम 10 (सुर्य-नगर) का है मामला

पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा गोपालपुरा बाईपास रोड पर स्कीम-10 (सुर्य-नगर) काटी गयी थी,जिसके खसरा संख्या 203 स्थित 5 बीघा जमीन को सरकारी जमीन माना गया,जिसका इन्द्राज सुर्य-नगर स्कीम के जे.डी.ए. अनुमोदित नक़्शे और राजस्व रिकॉर्ड में दर्शित जमाबंदी रिकॉर्ड में भी किया गया है और जमीन को जे.डी.ए. के स्वामित्व में बताया गया है|

एक नहीं 7 अवैध व्यवसायिक कोम्प्लेक्स बन गए जिनमे चल रहे है बिना अनुमति कई नामचीन कोचिंग संस्थान और होस्टल

जे.डी.ए. की आँख के नीचे इस सरकारी जमीन पर एक नहीं सात-सात व्यवसायिक कोम्प्लेक्स मुख्य सड़क पर खड़े हो गए जिनमे कई नामचीन कोचिंग संस्थानों और होस्टलों का बिना अनुमति संचालन किया जा रहा है|

क्रम संख्या	कोचिंग संस्थान/व्यवसायिक गतिविधियाँ	पता
1.	Allen Carrier Institute	505,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
2.	NITJEE Academy	503,सूर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
3.	Plus Point Institute	503A ,सूर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
4.	Meritto Institute	502,सूर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
5.	1. Fitoor Café & Kitchen 2. ExtraMarks In-stitute3.Progressive Institute	501,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
6.	Teacher 's Academy	501-A,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
7.	Illegal Complex	500,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह चौक,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा,302012 मोबाइल:-9828346151 पेज 1

भूखंड संख्या 528,सूर्य नगर,गोपालपुरा बाईपास पर बन रहा होस्टल

खसरा संख्या 203 पर चल रहे कोचिंग संस्थानों और होस्टलों पर भी कोई कार्यवाही नहीं अपितु नियम कायदों को ताक पर रखकर जे.डी.ए. पट्टे देने की तैयारी

पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा गोपालपुरा बाईपास रोड पर स्कीम-10 (सुर्य-नगर) काटी गयी थी,जिसके खसरा संख्या 203 स्थित 5 बीघा जमीन को सरकारी जमीन माना गया,जिसका इन्द्राज सुर्य-नगर स्कीम के जे.डी.ए. अनुमोदित नक़्शे और राजस्व रिकॉर्ड में दर्शित जमाबंदी रिकॉर्ड में भी किया गया है और जमीन को जे.डी.ए. के स्वामित्व में बताया गया है|

एक नहीं कई अवैध व्यवसायिक कोम्प्लेक्स बन गए जिनमे चल रहे है बिना अनुमति कई नामचीन कोचिंग संस्थान और होस्टल

जे.डी.ए. की आँख के नीचे इस सरकारी जमीन पर एक नहीं सात-सात व्यवसायिक कोम्प्लेक्स मुख्य सड़क पर खड़े हो गए जिनमे कई नामचीन कोचिंग संस्थानों और होस्टलों का बिना अनुमति संचालन किया जा रहा है|इसी खसरे पर स्थित भूखंड संख्या 528 पर बिना सेटबैक छोड़े,बिना अनुमति के विशालकाय होस्टल का भी निर्माणकार्य पुनः चालू हो गया है|पंरतु इन सबके बावजूद जे.डी.ए. के अधिकारी इन सब व्यवसायिक गतिविधियों को नजरअंदाज करते हुए जे.डी.ए. पट्टे देने की तैयारी में है|गौरतलब है कि हमारे द्वारा दायर PIL में इस खसरे पर चल रहे 6 कोचिंग संस्थानों के अवैध होने का हलफनामा दिया गया था बावजूद इसके आज दिनांक तक इन्हें सील नहीं किया गया है|

प्रकरण:-6

अजमेरा गार्डन की नर्सरी की जमीन पर चल रही अवैध व्यवसायिक गतिविधियों का मामला लोकायुक्त में

अजमेर रोड व किंग्स रोड के कोर्नर पर(राजस्व ग्राम सुशीलपुरा के खसरे संख्या (198)23 बीघा 10 बिस्वा बेशकीमती जमीन जो अजमेरा गार्डन के नाम से मशहूर है|अवाप्ति के 25 साल बाद भी जे.डी.ए ने इस जमीन पर कब्ज़ा नहीं लिया,बल्कि 15 बीघा जमीन पर बसाई गयी अवैध कोलोनी को नियमित कर दिया,अब बाकी बची 8 बीघा जमीन पर,जो कि मास्टर प्लान 2025 के अनुसार नर्सरी की जमीन के रूप में दर्ज है,पर 8 बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे है|जे.डी ए. के संज्ञान में यह मामला लाने पर प्रवर्तन शाखा द्वारा आनन-फानन से धारा 32 के नोटिस दिए गए,परन्तु जैसा की होता आया है,प्रवर्तन नोटिस देकर भूल गया|हालांकि यह मामला लोकायुक्त कार्यालय में लंबित है|

प्रकरण:-7

आवासीय भूखंड संख्या S-4,अजमेर रोड पर चल रहा अवैध हुंडई कार का शो रूम

न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना श्याम नगर के भूखंड संख्या एस-4 जो मुख्य अजमेर रोड पर स्थित है |इस भूखंड मालिक द्वारा 702 वर्ग मीटर के इस भूखंड पर आवासीय भवन निर्माण हेतु उपायुक्त जोन-5 के यहाँ आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये|परन्तु आवासीय की आड़ में भूखंड मालिक द्वारा हुंडई कार का शोरूम बना दिया गया है|जे.डी.ए. में लाख शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर इस मामले को भी माननीय लोकायुक्त महोदय के संज्ञान में लाया गया,परन्तु इसके बावजूद आज दिनांक तक इस आवासीय भूखंड का व्यवसायिक उपयोग बदस्तूर चालु है|

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2019/TWB/08 E-Newsletter, Issued in Public Interest शुक्रवार, 3 मई 2019

The Whistle Blowers
Exposing Corruption in Government System

ग्रैंड अनुकम्पा
बेईमानी की जमीन पर धोखे के फ्लेट्स और भ्रष्टाचार के तल|

पार्ट-2

आवासीय की आड में हो रहा है 5 सितारा होटल बनाने का खेल,जिससे बिल्डर को होगी करोडों की कमाई और हमारे राजस्व को करोडों रुपयों की हानि|

शुरू से ही विवादों में रही अजमेर रोड स्थित मुर्गी खाने की जमीन,जिस पर ग्रैंड अनुकम्पा नामक मिश्रित उपयोग के काम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है,पुनः सुर्ख़ियों में है|इस बार वजह है इसके द्वारा कई तरीकों से पहुंचाई जाने वाली राजस्व को हानि|जे.डी.ए.की नीलामीकी शर्तों के अनुसार इस जमीन पर 25% व्यावसायिक और 75% आवासीय निर्माण की स्वीकृति है|वर्तमान में जे.डी.ए. द्वारा इस भूखंड पर लोअर ग्राउंड+अपर ग्राउंड के अलावा 11 तलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है,जिसमे से लोअर ग्राउंड+अपर ग्राउंड +प्रथम तल पर व्यावसायिक और द्वितीय से ग्यारहवें तल तक सर्विस अपार्टमेंट(एक कमरा+एक टॉयलेट+पेंट्री) के रूप में आवासीय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है परन्तु बिल्डर द्वारा सम्पूर्ण 11 तल की बिल्डिंग में सर्विस अपार्टमेंट के नाम पर होटल के कमरों का निर्माण कर,भोले भाले निवेशकों के खून पसीने की कमाई से निवेश करवा का, 5 सितारा होटल बनाया जा रहा है|

S-1,अजमेर रोड,जयपुर स्थित प्रोजेक्ट ग्रैंड अनुकम्पा,जिसके लिए कोई अँधा भी बता सकता है कि यह किसी होटल का निर्माण है|

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,झारखण्ड महादेव मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा,302012 मोबाइल-9828346151 पेज 1

प्रकरण:-8

अनुकम्पा ग्रुप बना रहा है भूखंड संख्या S-1,अजमेर रोड(मुर्गीखाने वाली जमीन पर)पर आवासीय के नाम पर होटल ग्रैंड अनुकम्पा

जे.डी.ए. द्वारा इस भूखंड पर लोअर ग्राउंड+अपर ग्राउंड के अलावा 11 तलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है,जिसमे से लोअर ग्राउंड+अपर ग्राउंड +प्रथम तल पर व्यावसायिक और द्वितीय से ग्यारहवें तल तक सर्विस अपार्टमेंट(एक कमरा+एक टॉयलेट+पेंट्री) के रूप में आवासीय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है परन्तु बिल्डर द्वारा सम्पूर्ण 11 तल की बिल्डिंग में सर्विस अपार्टमेंट के नाम पर होटल के कमरों का निर्माण कर,भोले भाले निवेशकों के खून पसीने की कमाई से निवेश करवा कर, 5 सितारा होटल बनाया जा रहा है|

जे.डी.ए. में लाख शिकायत करने के बावजूद जे.डी.ए. यह मानने को तैयार नहीं है|जे.डी.ए. के अनुसार बिल्डर द्वारा अनुमोदित नक्शों के अनुसार ही निर्माण करवाया जा रहा है|

कैसे होगी गुलाब कोठारी मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना?

उक्त प्रकरणों पर जे.डी.ए. की प्रवर्तन शाखा की सुस्ती प्रदर्शित करती है कि जे.डी.ए. में आम आदमी की शिकायतों पर क्या कार्यवाही होती होगी?जे.डी.ए. प्रवर्तन के अधिकारी केवल कुछ गरीबों के टिन-टप्पर उखाड़ कर अपने गाल बजाने लगते है और समाचार पत्रों में अपनी बहादुरी के किस्से छपवा देते है| यही हालात रहे तो गुलाब कोठारी मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना तो दूर की बात है,भूमाफिया कोर्ट के बाहर भी अवैध निर्माण करने में सक्षम हो जायेंगे|

क्रमांक	जिम्मेदार अधिकारी	नाम
1.	श्री मान पुलिस अधीक्षक महोदय	श्री मामन सिंह
2.	श्रीमान मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय	श्री रघुवीर प्रसाद सैनी
3.	श्रीमान उप मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय	श्री कालू राम मीणा
4.	श्रीमान प्रवर्तन अधिकारी महोदय	श्री राजीव यदुवंशी